राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3227/2025

इन्द्र सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी सीबी), जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में 24.12.1999 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। हेड के रूप में लगभग 17 वर्षों की सेवा प्रदान करने के बाद विनम्र अपीलार्थी को वर्ष 2008–2009 में कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा विभाग ने अपीलार्थी को वर्ष 2016–2017 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की। अपीलार्थी ने वर्ष 2012–2013 में भी अर्हक परीक्षा में भाग लिया था, परन्तु पदों की कम संख्या के कारण, अपीलार्थी को वर्ष 2012–2013 में सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं मिल सकी, जिसकी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बाद में समीक्षा की गई और अपीलार्थी को वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 16.08.2019 के आदेश द्वारा सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–1) इस प्रकार विनम्र अपीलार्थी को वर्ष 2016–2017 के लिए सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नत माना जा रहा था और यद्यपि वर्ष 2018–2019 में उन्हें सहायक उप–निरीक्षक के पद से उप–निरीक्षक के लिए पदोन्नति संबंधी लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और उन्हें वर्ष 2018–2019 की अर्हकारी परीक्षा में भी सफल घोषित किया गया था, किन्तु अपीलार्थी को वरिष्ठता में निम्न माना गया

था, इसलिए उन्हें उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अंतिम रूप से विचार नहीं किया गया। (अनुलग्नक–2) विभाग ने दिनांक 05.04.2023 के आदेश के अंतर्गत अंततः वर्ष 2011–2012 से 2018–2019 तक पूर्व में आयोजित विभिन्न अर्हकारी परीक्षाओं की समीक्षा की और यह माना कि अपीलार्थी को वर्ष 2016–2017 के बजाय वर्ष 2012–2013 में सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना चाहिए था। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी का नाम मद संख्या 15 पर उल्लिखित है। सहायक उप–निरीक्षक की 01.04.2023 की वरिष्ठता सूची भी 27.03.2024 को जारी की गई थी। यह अंतिम वरिष्ठता सूची 05.04.2023 के आदेश (जिसके द्वारा सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की समीक्षा की गई और वर्ष 2016–2017 से डीपीसी वर्ष 2012–2013 में पदोन्नति प्रदान की गई) के जारी होने के बाद जारी की गई थी, अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 5 पर रखा गया था और सहायक उप–निरीक्षक के रूप में उनके चयन का वर्ष भी 2012–2013 बताया गया था। (अनुलग्नक–4) वर्ष 2015 में सीआईडी सीबी, जयपुर के अंतर्गत सहायक उप–निरीक्षक के 06 पद थे और तत्पश्चात इनकी समीक्षा की गई और तदनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2012–2013 के लिए सहायक उप–निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी को वर्ष 2018–2019 में उप–निरीक्षक के रूप में पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए थी क्योंकि अपीलार्थी ने उप–निरीक्षक के पद के लिए 2018–2019 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जिन उम्मीदवारों को पहले 01.04.2023 तक वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 18 से क्रम संख्या 25 तक अपीलार्थी से वरिष्ठ माना गया था, वे अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं। हालाँकि वे वर्ष 2013–2014 और 2014–2015 के थे। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 09.04.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तत किया गया, (अनुलग्नक–7) जिसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 10.04.2025 के आवेदन के रूप में प्राप्त किया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपीलार्थी को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 27.02.2025 के पत्र द्वारा जानकारी भी प्रदान की गई थी। (अनुलग्नक–8) अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्याय की मांग हेतु प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 19.03.2025 को एक कानूनी नोटिस प्राप्त किया, परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस स्थिति में, अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष रिट याचिका संख्यारू एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्यारू 7202/2025 प्रस्तुत की, जिसे कानून के अंतर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया। (अनुलग्नक–11)

अतः अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 27.03.2024 के आदेश के तहत नियुक्त एएसआई की वर्ष 2012–2013 की वरिष्ठता के अनुसार वर्ष 2018–2019 में उप–निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया जावे एवं अपीलार्थी को सहायक उप–निरीक्षक के रूप में चयन के वर्ष 2012–2013 को ध्यान में रखते हुए सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष